महत्वपूर्ण

संख्या–358 /9–9–2011–203ज/12

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक :19 जनवरी, 2013

विषय– नागर निकायों में विद्युत के दुरूपयोग पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासनादेश संख्या एम0–67/नौ–9–2011–203ज/12 दिनांक 24 जुलाई, 2012 एवं संख्या एम0–79/नौ–9–2011–203ज/12 दिनांक 25 अगस्त, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नागर निकायों में विद्युत के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं कि माह अगस्त, 2012 से नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों से सम्बन्धित बिजली के बिलों का उस समय तक भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक नगर निगमों के सभी नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषदों के समस्त अधिशासी अधिकारी, लिखित रूप से इस आशय का आश्वासन न दे दें कि उनके कार्यालयों में दिन में अकारण कोई बल्ब और निकाय क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी तथा सड़कों पर जलने वाली लाइट शत्–प्रतिशत सुबह नियत समय पर ही बन्द कर दी जायेंगी । विद्युत के दुरूपयोग पर प्रभावी नियंत्रण न होने की स्थिति में मूलरूप से जिम्मेदारी नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की होगी ।

2. इस सम्बन्ध में यह भी तथ्य शासन के संज्ञान में आये हैं कि नागर निकायों की स्ट्रीट लाइट व अन्य गतिविधियों के विद्युत बिल, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित किये जाते हैं, उसका वस्तुनिष्ठ परीक्षण/सत्यापन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वास्तव में जितनी विद्युत यूनिट का उपभोग किया गया है, प्रस्तुत किया गया बिल उतने ही यूनिट का है या नहीं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों में स्ट्रीट लाइट, एस0टी0पी0 तथा अन्य प्रकार के सुविधाओं के सम्बन्ध में जो भी विद्युत बिल उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित किये जाते हैं,, उनका शतप्रतिशत परीक्षण सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारियों एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी उक्त संयुक्त समिति का सदस्य होगा तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की ओर से अधिकारी का नामांकन, यदि नागर निकाय मण्डल मुख्यालय पर स्थित हो तो मण्डलायुक्त द्वारा अन्यथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। शेष नागर निकायों में निकाय के प्रतिनिधि एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के प्रतिनिधि दोनों का ही नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति की अनुशंसा के अनुरूप ही विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का निष्ठा एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या– तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
6. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।